उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4

संख्या-59/2025/56/22-4-2025-1794027

लखनऊ: दिनांक 10 दिसम्बर, 2025

<u>अधिसूचना</u>

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश राज्य में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथासंशोधित कारागार अधिनियम, 1894 (अधिनियम संख्या 9 सन् 1894) की धारा 59 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश कारागार मैनुअल, 2022 का संशोधन किये जाने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश कारागार मैनुअल (प्रथम संशोधन), 2025

संक्षिप्त नाम, विस्तार 1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश कारागार मैनुअल (प्रथम संशोधन) 2025 कही जायेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में होगा तथा यह उत्तर प्रदेश में समस्त कारागारों, तत्सम्बन्धी संस्थाओं, बंदियों और कार्मिकों पर लागू होगी।

(3) यह सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

प्रस्तर 2 का संशोधन 2. उत्तर प्रदेश कारागार मैनुअल, 2022, जिसे आगे उक्त मैनुअल कहा गया है में, प्रस्तर 2 में-(एक) नीचे स्तम्भ-एक में दिए गए विद्यमान खंड (ग) के स्थान पर स्तम्भ-दो में दिया गया खंड रख दिया जाएगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-एक विद्यमान खण्ड	स्तम्भ-दो (एतद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड)
(ग) "आकस्मिक अपराधी" का तात्पर्य ऐसे बंदी से है जिसने पहली बार अपराध किया हो और इस कारण से अपराध न किया हो कि वह आपराधिक प्रवृत्ति का है वरन् अपने परिवेश, शारीरिक विकलांगता या मानसिक दौर्बल्य के कारण किया हो। दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 122 के अधीन कारागार में सुपुर्द किये गये या कारागार में निरुद्ध किये गये बंदी के मामले में "प्रथम अपराधी'' पद का तात्पर्य ऐसे बंदी से होगा जिसे पहली बार कारागार में सुपुर्द किया गया हो अथवा उसमें निरुद्ध किया गया हो;	(ग) "आकस्मिक अपराधी" का तात्पर्य ऐसे बंदी से है जो आभ्यासिक अपराधी न हो;

(दो) नीचे स्तम्भ - एक में दिए गए विद्यमान खंड (ढ) के स्थान पर स्तम्भ-दो में दिया गया खंड रख दिया जाएगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-एक वर्तमान खण्ड	स्तम्भ-दो (एतद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड)
(ढ़) "आभ्यासिक अपराधी' का तात्पर्य किसी ऐसे बंदी से है जिसे	(ढ़) "आभ्यासिक अपराधी" का तात्पर्य किसी ऐसे बंदी से है जो उत्तर प्रदेश अभ्यस्त अपराधी प्रतिरोध अधिनियम, 1952(उत्तर

आकस्मिक अपराधी के रूप में वर्गीकृत न किया गया हो;	प्रदेश अधिनियम संख्या-38 सन 1952) की धारा 2(1)(ग) में यथा परिभाषित ''अभ्यस्त अपराधी'' की परिभाषा के अधीन आता हो;

प्रस्तर 3 का संशोधन

3. उक्त मैनुअल में पैरा 3 के खण्ड (घ) में नीचे स्तम्भ - एक में दिए गए विद्यमान उप-खंड (पाँच) के स्थान पर, स्तम्भ-दो में दिया गया उप-खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात्ः –

स्तम्भ-एक (विद्यमान उप-खण्ड)	स्तम्भ-दो (एतद्वारा प्रतिस्थापित उप-खण्ड)
(पांच) अत्यधिक जोखिम अथवा पेशेवर अथवा आभ्यासिक बंदियों के लिये उच्च सुरक्षा कारागारः क) जिला जेल, लखनऊ ख) जिला जेल, चित्रकूट ग) जिला जेल, गौतमबुद्ध नगर घ) जिला जेल, आजमगढ़ ड.) जिला जेल, ललितपुर च) जिला जेल, बरेली-2	(पांच) अत्यधिक जोखिम अथवा पेशेवर बंदियों के लिये उच्च सुरक्षा कारागार

प्रस्तर 27 का संशोधन

4. उक्त मैनुअल में, प्रस्तर 27 में, नीचे स्तम्भ- एक में दिए गए विद्यमान खंड (पाँच) के स्थान पर, स्तम्भ-दो में दिया गया खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-एक (विद्यमान खण्ड)	स्तम्भ-दो (एतद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड)
(पांच) सिद्धदोष के माता-पिता का नाम, जिनके निवास स्थान, व्यवसाय और आयु वारंट में सम्यक् रूप से लिखे हों;	(पांच) सिद्धदोष के माता-पिता का नाम, निवास स्थान, व्यवसाय और आयु वारंट में सम्यक् रूप से लिखे हों;

प्रस्तर124 का संशोधन

5. उक्त मैनुअल में, नीचे स्तम्भ-एक में दिए गए विद्यमान प्रस्तर-124 के स्थान पर, स्तम्भ-दो में दिया गया पैरा रख दिया जाएगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-एक (विद्यमान प्रस्तर)	स्तम्भ-दो (एतद्वारा प्रतिस्थापित प्रस्तर)
कतिपय मामलों में सिद्धदोषियों का स्थानांतरण 124. महानिदेशक, ऐसे बंदियों, जिनकी विशेष कृत्यों जैसे बंदी अधिकारी, मेहतर आदि के निर्वहन की आवश्यकता हो सकती हो के एक जेल से दूसरे में स्थानांतरित करने का निदेश दे सकते हैं। वह ऐसे बंदियों जो किसी विशिष्ट विषय या उद्यम को जानते हैं को एक जेल से दूसरे जेल जहां ऐसा विषय या उद्यम होता हो या जहाँ इस विषय या उद्यम में प्रशिक्षण होता हो, में भी स्थानांतरित कर सकते हैं।महानिदेशक इस नियम के अन्तर्गत बंदियों के स्थानांतरण के संबंध में ऐसे सामान्य या विशेष	कतिपय मामलों में सिद्धदोषियों का स्थानांतरण 124. महानिदेशक, ऐसे बंदियों, जिनकी विशेष कृत्यों जैसे बंदी अधिकारी के कृत्यों के निर्वहन हेतु आवश्यकता हो सकती हो और ऐसे बंदियों जो विशिष्ट कला, शिल्प, व्यवसाय अथवा औद्योगिक कौशल आदि में प्रवीण हों, को एक जेल से दूसरे में स्थानांतरित करने का निदेश दे सकते हैं। वह ऐसे बंदियों, जो किसी विशिष्ट विषय या उद्यम को जानते हैं, को एक जेल से दूसरे जेल जहां ऐसा विषय या उद्यम होता हो या जहाँ इस विषय या उद्यम में प्रशिक्षण होता हो, में भी स्थानांतरित कर सकते हैं। महानिदेशक इस प्रस्तर

आदेश पारित कर सकते हैं जैसा कि वह आवश्यक समझे।	के अधीन बंदियों के स्थानांतरण के संबंध में ऐसे सामान्य या विशेष आदेश पारित कर सकते हैं जैसा कि वह आवश्यक समझें।

प्रस्तर 158 का संशोधन

6. उक्त मैनुअल में, नीचे स्तम्भ-एक में दिए गए विद्यमान प्रस्तर 158 के स्थान पर स्तम्भ-दो में दिया गया प्रस्तर रख दिया जाएगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-एक (विद्यमान प्रस्तर)	स्तम्भ-दो (एतद्वारा प्रतिस्थापित प्रस्तर)
मेहतर झाड़ू बहारू के कार्य में लगे सिद्धदोषियों को परिहार 158. जेल में अच्छे कार्य और आचारण के अध्यधीन जेल में मेहतर श्रेणी के सिद्धदोषी अथवा जिन्हें प्रशासनिक आधारों पर बंदी अधिकारी की कोटि में प्रोन्नत किया जाना समीचीन नहीं पाया गया हो यद्यपि उन्हें बंदी अधिकारी नियुक्त नहीं किया जा सकता है, भी उस माह के जिसमें वे इस नियम के अधीन उन कोटियों में प्रोन्नति के लिए अर्ह हुए होते, अगले माह के प्रथम दिवस से क्रमशः सिद्धदोषी रात्रि प्रहरी और सिद्धदोषी ओवर सीयर के लिए पूर्ववर्ती प्रस्तर में स्वीकृत किये सामान्य परिहार प्राप्त करने के हकदार होंगे।	जेल में स्वच्छता और साफ-सफाई में कार्यरत सिद्धदोषियों को परिहार 158. जेल में अच्छे कार्य और आचरण के अध्यधीन जेल में स्वच्छता और साफ-सफाई में योजित सिद्धदोषी अथवा जिन्हें प्रशासनिक आधारों पर बंदी अधिकारी की कोटि में प्रोन्नत किया जाना समीचीन नहीं पाया गया हो यद्यपि उन्हें बंदी अधिकारी नियुक्त नहीं किया जा सकता है, भी उस माह के जिसमें वे इस नियम के अधीन उन कोटियों में प्रोन्नति के लिए अर्ह हुए होते, अगले माह के प्रथम दिवस से क्रमशः सिद्धदोषी रात्रि प्रहरी और सिद्धदोषी ओवर सीयर के लिए पूर्ववर्ती प्रस्तर में स्वीकृत किये सामान्य परिहार प्राप्त करने के हकदार होंगे।

प्रस्तर 161 का संशोधन

7. उक्त मैनुअल में, नीचे स्तम्भ एक में दिए गए विद्यमान प्रस्तर 161 के स्थान पर स्तम्भ-दो में दिया गया प्रस्तर रख दिया जाएगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-एक (विद्यमान प्रस्तर)	स्तम्भ-दो (एतद्वारा प्रतिस्थापित प्रस्तर)
अवकाश के दिनों में कार्य करने वाले बंदियों को परिहार 161. कारागार सेवाओं जैसे रसोईया, मेहतर, भण्डारपाल, लैम्प सफाईकर्मी, अस्पताल परिचर और नाई में योजित बंदियों, जो रविवार या अन्य जेल अवकाश के दिनों में सामान्यतः कार्य करते हैं, को प्रत्येक पूर्व कैलेण्डर माह जिसके दौरान वे इस प्रकार योजित रहे हों, के लिए एक दिन का सामान्य परिहार इन नियमों के अधीन किसी अन्य परिहार के अतिरिक्त दिया जायेगा। तथापि बंदी वार्डर तथा बंदी ओवरसीयर इस नियम के अधीन परिहार के लिए अर्ह नहीं होंगे।	अवकाश के दिनों में कार्य करने वाले बंदियों को परिहार 161. कारागार सेवाओं में योजित बंदियों, जो रविवार या अन्य जेल अवकाश के दिनों में सामान्यतः कार्य करते हैं, को प्रत्येक पूर्व कैलेण्डर माह जिसके दौरान वे इस प्रकार योजित रहे हों, के लिए एक दिन का सामान्य परिहार इन नियमों के अधीन किसी अन्य परिहार के अतिरिक्त दिया जायेगा। तथापि बंदी वार्डर तथा बंदी ओवरसीयर इस प्रस्तर के अधीन परिहार के लिए अर्ह नहीं होंगे।

प्रस्तर 176 का संशोधन

8. उक्त मैनुअल में, नीचे स्तम्भ-एक में दिए गए प्रस्तर 176 के विद्यमान खण्ड (1) के "स्थान पर स्तम्भ-दो में दिया गया खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात:-

स्तम्भ-एक (विद्यमान खण्ड)	स्तम्भ-दो (एतद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड)
(1) क्या सिद्धदोषी पेशेवर, अनुवांशिक या विशेष खतरनाक अपराधी है या नहीं।	(1) क्या सिद्धदोषी पेशेवर या विशेष खतरनाक अपराधी है या नहीं।

प्रस्तर 196 का संशोधन

9. उक्त मैनुअल में, नीचे स्तम्भ-एक में दिए गए प्रस्तर 196 के विद्यमान खण्ड (क) के स्थान पर स्तम्भ - दो में दिया गया खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-एक (विद्यमान खण्ड)	स्तम्भ-दो (एतद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड)
(क) दो से अधिक पूर्व दोषसिद्ध वाले आभ्यासिक सिद्धदोषी को बंदी रात्रि प्रहरी के रूप में नियुक्ति किया जा सकेगा यदि वे नियम 196 में आकस्मिक सिद्धदोषियों के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों।	(क) तीन से अधिक पूर्व दोषसिद्धि वाले आभ्यासिक सिद्धदोषी को बंदी रात्रि प्रहरी के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा यदि वे प्रस्तर 195 में आकस्मिक सिद्धदोषियों के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों।

प्रस्तर 223 का संशोधन

10. उक्त मैनुअल में प्रस्तर 223 में, नीचे स्तम्भ-एक में दिए गए टिप्पणी (1) से पहले विद्यमान प्रारम्भिक प्रस्तर के स्थान पर स्तम्भ-दो में दिया गया प्रारम्भिक प्रस्तर रख दिया जाएगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-एक (विद्यमान प्रारम्भिक प्रस्तर)	स्तम्भ-दो (एतद्वारा प्रतिस्थापित प्रारम्भिक प्रस्तर)
223. अधीक्षक और जेलर का कर्तव्य होगा कि वे सिद्धदोषियों के पुनरीक्षण पत्रक निर्धारित प्रारूप में दो प्रतियों में दोषसिद्ध करने वाले जिला के जिला मजिस्ट्रेट को उन्हें पूरा करने के लिए पुनरीक्षण के दिनांक से छह माह पूर्व प्रेषित किये जांय जिसमें सिद्धदोषी की जाति, पिता का नाम, निवास स्थान जैसे विवरण और गांव, थाना और जिला का नाम सही सही और सुपाठ्य रूप से लिखे गये हों।	223. अधीक्षक और जेलर का कर्तव्य होगा कि सिद्धदोषियों के पुनरीक्षण पत्रक निर्धारित प्रारूप में दो प्रतियों में दोषसिद्ध करने वाले जिला के जिला मजिस्ट्रेट को उन्हें पूरा करने के लिए पुनरीक्षण के दिनांक से छह माह पूर्व प्रेषित किये जाएं जिसमें सिद्धदोषी के पिता का नाम, निवास स्थान जैसे विवरण और गांव, थाना और जिला का नाम सही सही और सुपाठ्य रूप से लिखे गये हों।

पैरा 255 का संशोधन

11. उक्त मैनुअल में, नीचे स्तम्भ - एक में दिए गए विद्यमान प्रस्तर 255 के स्थान पर स्तम्भ-दो में दिया गया प्रस्तर रख दिया जाएगा, अर्थात:-

स्तम्भ-एक (विद्यमान पैरा)	स्तम्भ-दो (एतद्वारा प्रतिस्थापित पैरा)
आभ्यासिक बंदियों की उप श्रेणियाँ 255. आभ्यसिक बंदियों को निम्नलिखित उपश्रेणियों में विभक्त किया जायेगा :- 1. गैर पेशेवर ; और	आभ्यासिक बंदियों की उप श्रेणियाँ 255. आभ्यासिक बंदियों को निम्नलिखित उपश्रेणियों में विभक्त किया जायेगा :- 1. गैर पेशेवर; और

2. पेशेवर गैर पेशेवर आभ्यासिक उपश्रेणी में वे बंदी सम्मिलित होंगे जो अपनी परिवेश या कुछ शारीरिक या मानसिक कमी के कारण अपराध में चले गये हैं और जो पहली बार अपराधी नहीं हैं। अन्य उप श्रेणियों में अन्य सभी आभ्यासिक बंदियों को सम्मिलित किया जायेगा, उदाहरणार्थ, वे व्यक्ति जिनका एक उद्देश्य होता है, स्वस्थचित्त होते हैं और अधिकांशतः शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं, प्रायः अत्यधिक कुशल होते हैं और जो जानबूझकर सब कुछ समझते हुए अपराध का जीवन चुनते हैं और उस जीवन के लिए आवश्यक दावंपेंच और चालबाजी जानते हैं।	2. पेशेवर गैर पेशेवर आभ्यासिक उपश्रेणी में वे बंदी सम्मिलित होंगे जो अपने परिवेश या कुछ शारीरिक या मानसिक कमी के कारण अपराध में चले गये हैं। अन्य उप श्रेणी में अन्य सभी आभ्यासिक बंदियों को सम्मिलित किया जायेगा, उदाहरणार्थ, वे व्यक्ति जिनका एक उद्देश्य होता है, स्वस्थचित्त होते हैं और अधिकांशतः शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं, प्रायः अत्यधिक कुशल होते हैं और जो जानबूझकर सब कुछ समझते हुए अपराध का जीवन चुनते हैं और उस जीवन के लिए आवश्यक दावंपेंच और चालबाजी जानते है।

प्रस्तर 263 का संशोधन

12. उक्त मैनुअल में, प्रस्तर 263 में, नीचे स्तम्भ - एक में दी गई विद्यमान प्रविष्टि 11 के स्थान पर स्तम्भ-दो में दी गई प्रविष्टि रख दी जायेगी, अर्थात्:-

स्तम्भ-एक (विद्यमान प्रविष्टि)	स्तम्भ-दो (एतद्वारा प्रतिस्थापित प्रविष्टि)
(11) क्या सिद्धदोषी पेशेवर, अनुवांशिक या अत्यंत खतरनाक है.....	(11) क्या सिद्धदोषी पेशेवर या अत्यन्त खतरनाक है.....

प्रस्तर 276 का संशोधन

13. उक्त मैनुअल में, नीचे स्तम्भ - एक में दिए गए विद्यमान प्रस्तर 276 के स्थान पर स्तम्भ-दो में दिया गया प्रस्तर रख दिया जाएगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-एक (विद्यमान प्रस्तर)	स्तम्भ-दो (एतद्वारा प्रतिस्थापित प्रस्तर)
उच्चतर श्रेणी सिद्धदोषियों के लिए कार्य 276. उच्चतर श्रेणी के सिद्धदोषियों के लिए कार्यों का आवंटन कठोर कारावास से दण्डित प्रत्येक उच्चतर श्रेणी के सिद्धदोषी की सामर्थ्य, चरित्र, पूर्व जीवन-चर्चा और पूर्व वृत्त को ध्यान में रखते हुए सावधानीपूर्वक किया जायेगा।	उच्चतर श्रेणी सिद्धदोषियों के लिए कार्य 276. उच्चतर श्रेणी के सिद्धदोषियों के लिए कार्यों का आवंटन कठोर कारावास से दण्डित प्रत्येक उच्चतर श्रेणी के सिद्धदोषी के सामर्थ्य, चरित्र और पूर्व अर्जित कौशल को ध्यान में रखते हुए सावधानीपूर्वक किया जायेगा।

प्रस्तर 289 का संशोधन

14. उक्त मैनुअल में, नीचे स्तम्भ-एक में दिये गये प्रस्तर 289 के विद्यमान खण्ड (छ) के स्थान पर स्तम्भ-दो में दिया गया खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात:-

स्तम्भ-एक (विद्यमान खण्ड)	स्तम्भ-दो (एतद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड)
(छ) किसी तिरस्कारपूर्ण या चतुर्थ वर्ग चरित्र के किसी कार्य को करने के लिए तब तक नहीं कहा जायेगा जब तक कि वह इस जाति या समुदाय का न हो और जो ऐसे कार्यों को करने में	(छ) निकाल दिया गया।

अभ्यस्त न हो, परन्तु उससे अपने उपयोग के लिए पानी ले आने की अपेक्षा की जा सकती है, परन्तु यह कि वह समाज के उस वर्ग का सदस्य हो जो अपने घरों में ऐसे कार्य करने के अभ्यस्त हैं।	

प्रस्तर 347 का संशोधन

15. उक्त मैनुअल में नीचे स्तम्भ-एक में दिये गये प्रस्तर 347 के विद्यमान खण्ड (1) पर स्तम्भ-दो में दिया गया खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-एक (विद्यमान खण्ड)	स्तम्भ-दो (एतद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड)
(1) मृत्युदण्डित के सिद्धदोषी की सुरक्षा सिद्धदोषी की जाति और जिला से भिन्न विश्वसनीय स्थायी वार्डरों से करायी जायेगी। प्रत्येक वार्डर तीन घण्टे की ड्युटी करेगा।	(1) मृत्युदण्डित सिद्धदोषी की सुरक्षा विश्वसनीय स्थायी वार्डरों से करायी जायेगी जो सत्यनिष्ठ और प्रतिष्ठित हों। प्रत्येक वार्डर तीन घण्टे की ड्युटी करेगा।

प्रस्तर 573 का संशोधन

16. उक्त मैनुअल में नीचे स्तम्भ - एक में दिये गये प्रस्तर 573 के स्थान पर स्तम्भ-दो में दिया गया प्रस्तर रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-एक (विद्यमान प्रस्तर)	स्तम्भ-दो (एतद्वारा प्रतिस्थापित प्रस्तर)
जेल परिसर और बाड़ों की सफाई 573. जेल के परिसर और बाड़ों को हर समय पूरी तरह से साफ-सुथरा रखा जाएगा। सड़कों, रास्तों, घास के भूखण्डों और खुले मैदानों की साफ-सफाई और उनकी शोभा सुनिश्चित करने के लिए दैनिक रूप से और निरंतर ध्यान दिया जाना चाहिए। मुख्य दीवार के बाहर के मैदानों को सभी प्रकार के जंगली घास-फूस वाली वनस्पतियों से मुक्त रखा जाएगा।	जेल परिसर और बाड़ों की सफाई 573. जेल के परिसर और बाड़ों को हर समय पूरी तरह से साफ-सुथरा रखा जाएगा। सड़कों, रास्तों, घास के भूखण्डों और खुले मैदानों की साफ-सफाई और उनकी शोभा सुनिश्चित करने के लिए दैनिक रूप से और निरंतर ध्यान दिया जाना चाहिए। मुख्य दीवार के बाहर के मैदानों को सभी प्रकार के जंगली घास-फूस वाली वनस्पतियों से मुक्त रखा जाएगा। हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या-25 सन् 2013) कारागारों पर बाध्यकारी है। यह हाथ से मैला उठाने और मलनाली की परिसंकटमय सफाई को प्रतिबंधित करता है।

प्रस्तर 580 का संशोधन

17. उक्त मैनुअल में नीचे स्तम्भ-एक में दिये गये प्रस्तर 580 के विद्यमान खण्ड (2) के स्थान पर स्तम्भ-दो में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-एक (विद्यमान खण्ड)	स्तम्भ-दो (एतद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड)
(2) अधीक्षक किसी भी बंदी को अपने बालों को काटने या मूड़ने से उसके धार्मिक विश्वासों या जातिगत पूर्वाग्रहों के आधार पर छूट दे सकता है। कोई भी बंदी जिसके लिए यह प्रक्रिया न्यायोचित रूप से	(2) अधीक्षक किसी भी बंदी को अपने बालों को काटने या मूंडने से उसके धार्मिक विश्वासों के आधार पर छूट दे सकता है। कोई भी बंदी जिसके लिए यह प्रक्रिया न्यायोचित रूप से निम्नकारी या

निम्नकारी या अपमानजनक हो, उसे भी अधीक्षक स्वविवेक पर छूट दे सकता है।	अपमानजनक हो, उसे भी अधीक्षक स्वविवेक पर छूट दे सकता है।

प्रस्तर 616 का संशोधन

18. उक्त मैनुअल में नीचे स्तम्भ-एक में दिये गये प्रस्तर 616 के विद्यमान खण्ड (2) के स्थान पर स्तम्भ-दो में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-एक (विद्यमान खण्ड)	स्तम्भ-दो (एतद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड)
(2) किसी भी जाति या पंथ के अंतःवासी के शव, जिन पर उनके रिश्तेदारों या मित्रों द्वारा दावा नहीं किया जाता है, अनुमोदित सूची में से मृतक के समान धर्म की एक सोसायटी को सौंपा जा सकता है। अंत्येष्टि की व्यवस्था सरकारी खर्च पर और जरूरत पड़ने पर उचित बजट मद में खर्च किया जाएगा।	(2) किसी भी अंतःवासी के शव, जिन पर उनके रिश्तेदारों या मित्रों द्वारा दावा नहीं किया जाता है, अनुमोदित सूची में से मृतक के समान धर्म की एक सोसायटी को सौंपा जा सकता है। अंत्येष्टि की व्यवस्था सरकारी खर्च पर और जरूरत पड़ने पर उचित बजट मद में खर्च किया जाएगा।

प्रस्तर 681 का संशोधन

19. उक्त मैनुअल में नीचे स्तम्भ-एक में दिये गये विद्यमान प्रस्तर 681 के स्थान पर स्तम्भ-दो में दिया गया प्रस्तर रख दिया जायेगा, अर्थात:-

स्तम्भ-एक (विद्यमान प्रस्तर)	स्तम्भ-दो (एतद्वारा प्रतिस्थापित प्रस्तर)
धार्मिक विश्वास और जातीय पूर्वाग्रह 681. बंदियों के धार्मिक विश्वासों को सभी मामलों में उचित सम्मान दिया जाएगा जहां तक यह आदेश अनुशासन, स्वास्थ्य और नैतिकता के अनुकूल है।	धार्मिक विश्वास 681. बंदियों के धार्मिक विश्वासों को सभी मामलों में उचित सम्मान दिया जाएगा जहां तक यह व्यवस्था, कारागार दिनचर्या, अनुशासन, स्वास्थ्य और नैतिकता के अनुकूल है।

प्रस्तर 828 का संशोधन

20. उक्त मैनुअल में नीचे स्तम्भ - एक में दिये गये विद्यमान प्रस्तर 828 के स्थान पर स्तम्भ-दो में दिया गया प्रस्तर रख दिया जाएगा, अर्थात:-

स्तम्भ-एक (विद्यमान प्रस्तर)	स्तम्भ-दो (एतद्वारा प्रतिस्थापित प्रस्तर)
कठोर कारावास से दण्डित सिद्धदोष कैदी को श्रम 828. अधीक्षक अपनी देखरेख में और जहां तक संभव हो निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखकर, कठोर कारावास की सजा पाये सभी श्रेणी के बंदियों को श्रम उपलब्ध करायेगा चाहे औद्योगिक हो या बिना औद्योगिक- (क) किसी विशिष्ट कार्य के लिए कैदी की शारीरिक और मानसिक स्वस्थता। (ख) कैदी की पूर्व शिक्षा, प्रशिक्षण या किसी उद्योग व्यापार या पारिवारिक व्यवसाय का अनुभव।	कठोर कारावास से दण्डित सिद्धदोष कैदी को श्रम 828. अधीक्षक अपनी देखरेख में और जहां तक संभव हो निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखकर, कठोर कारावास की सजा पाये सभी श्रेणी के बंदियों को श्रम उपलब्ध करायेगा चाहे औद्योगिक हो या बिना औद्योगिक- (क) किसी विशिष्ट कार्य के लिए कैदी की शारीरिक और मानसिक स्वस्थता। (ख) कैदी की पूर्व शिक्षा, प्रशिक्षण या किसी उद्योग, व्यापार आदि का अनुभव।

(ग) कैदी का किसी विशिष्ट कार्य के प्रति झुकाव या रूझान। (घ) पुनर्वासन की सम्भावनाएं अर्थात-जब कैदी जेल से रिहा किया जाएगा तो अपने गांव या जिले के निकट उस विशिष्ट कार्य में अपने आपको नियोजित कर पाएगा। (ङ) व्यापार या शिल्प के शिक्षा के लिए अपने गृह जनपद से दूर कैदी जेल न भेजा गया हो।	(ग) कैदी का किसी विशिष्ट कार्य के प्रति झुकाव या रुझान। (घ) पुनर्वासन की सम्भावनाएं अर्थात् जब कैदी जेल से रिहा किया जाएगा तो अपने गांव या जिले के निकट उस विशिष्ट कार्य में अपने आपको नियोजित कर पाएगा। (ङ) व्यापार या शिल्प के शिक्षा के लिए अपने गृह जनपद से दूर कैदी जेल न भेजा गया हो। (च) कार्य विभाजन या कृतिक आवंटन किसी भी स्थिति में धर्म या जाति के आधार पर नहीं होगा।

परिशिष्ट-2 का संशोधन

21. उक्त मैनुअल में, नीचे स्तम्भ एक में दिए गए परिशिष्ट-2 के विद्यमान प्रपत्र-क के स्थान पर स्तम्भ-दो में दिया प्रपत्र रख दिया जाएगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-एक (विद्यमान प्रपत्र)	स्तम्भ-दो (एतद्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र)
(फॉर्म ए) सशर्त विमुक्ति का आदेश (प्रस्तर-186 तथा 189 देखें) उत्तर प्रदेश के राज्यपाल दंड प्रक्रिया संहिता (कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की धारा 432 के अधीन अधिकारों तथा इस विषय में निहित समस्त अन्य अधिकारों का प्रयोग करके यहाँ दी हुई शर्तों के अधीन .....आत्मज..... जाति.....निवास स्थान..... जो.....है और जिसे..... .....न्यायालय.....द्वारा. के.....दिन को धारा..... के अधीन कारावास का दंड दिया गया उसको दिये गये कारावास के दण्ड के ऐसे भाग के लिए छूट का आदेश देते हैं जो.....के दिन.....तक बाकी रहे तथा उक्त बंदी द्वारा कथित शर्तों को स्वीकृत किये जाने पर.....मुक्त करने का निदेश देते हैं।	(प्रपत्र क) सशर्त विमुक्ति का आदेश (प्रस्तर-185 तथा 188 देखें) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 46 सन् 2023) की धारा 473 द्वारा प्रदत्त शक्ति और इस निमित्त उनमें निहित अन्य समस्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल एतद्वारा दी गयी शर्तों के अध्यधीन.....आत्मज..... निवास स्थान.....जो..... है और जिसे.....न्यायालय..... द्वारा.....के.....दिन को धारा.....के अधीन कारावास का दण्डादेश दिया गया है। उसको दिये गये कारावास के दण्डादेश के ऐसे भाग के लिए छूट का आदेश देते हैं, जो..... के दिन..... तक बाकी रहे तथा उक्त बंदी द्वारा कथित शर्तों को स्वीकृत किये जाने पर.....मुक्त करने निदेश देते हैं। उक्त सिद्धदोष पर उस अवधि में, जिसके लिए उसे छूट दी गयी है, अर्थात..... तक लागू रहेगी-तक निम्नलिखित शर्तें लागू रहेगी-

उक्त सिद्धदोष पर उस अवधि में, जिसके लिए उसे छूट दी गयी है, अर्थात..... तक निम्नलिखित शर्तें लागू रहेगी- (1) वह भारत में तत्समय प्रचलित किसी विधि के अधीन दंडनीय कोई अपराध नहीं करेगा। (2) वह किसी प्रकार दुश्चरित्र से सम्पर्क नहीं रखेगा और न लम्पट या पाप का जीवन व्यतीत करेगा। (3) वह.....जिले के भीतर ऐसे स्थान पर रहेगा, जिसके लिए पुलिस अधीक्षक उसे समय-समय पर निदेश दें और उस जिले के, जहाँ उसके रहने की अपेक्षा की गयी है, पुलिस अधीक्षक की लिखित अनुमति के बिना वहाँ से न तो बाहर जायेगा न अनुपस्थित रहेगा। (4) वह ऐसे समयों और स्थानों पर तथा ऐसे व्यक्ति के समक्ष जो उस जिले के जहाँ उसका रहना अपेक्षित है, पुलिस अधीक्षक या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निदिष्ट किये जाये, स्वयं को उपस्थित करेगा जब तक कि मजिस्ट्रेट उसे ऐसा करने से मुक्त न कर दें। (5) वह सामान्यता सप्रतिबन्ध मुक्त बंदियों पर प्रयोग किये जाने वाले पुलिस निगरानी से संबंधित तत्समय प्रचलित नियमों की अपेक्षाओं को मानेगा तथा उनका पालन करेगा। मैं.....एतदद्वारा सप्रतिबन्ध मुक्ति का उपर्युक्त आदेश निर्दिष्ट शर्तों को स्वीकार करता हूँ तथा उसका दृढ़तापूर्वक पालन करने के लिए सहमत हूँ। मैं यह समझाता हूँ। यदि मैं इन शर्तों को पूर्णतः अथवा किसी भाग के पूरा करने में असफल रहा तो राज्य के किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है तथा मुझे अपने मूल दण्ड की व्यतीत न हुई अवधि के लिए जेल वापस भेज जा सकता है। गवाह दिनांक- (सिद्धदोष के हस्ताक्षर बाएं अंगूठे की छाप)	(1) वह भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन दंडनीय कोई अपराध नहीं करेगा। (2) वह किसी प्रकार दुश्चरित्र से सम्पर्क नहीं रखेगा और न दुर्व्यसनी या पाप का जीवन व्यतीत करेगा। (3)वह..... जिले के भीतर ऐसे स्थान पर रहेगा, जिसके लिए पुलिस अधीक्षक उसे समय-समय पर निदेश दें और उस जिले के जहाँ उसके रहने की अपेक्षा की गयी है, पुलिस अधीक्षक की लिखित अनुमति के बिना वहाँ से न तो बाहर जायेगा न अनुपस्थित रहेगा। (4) वह ऐसे समयों और स्थानों पर तथा ऐसे व्यक्ति के समक्ष जो उस जिले के जहाँ उसका रहना अपेक्षित है, पुलिस अधीक्षक या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाये, स्वयं रिपोर्ट करेगा जब तक कि जिला मजिस्ट्रेट उसे ऐसा करने से मुक्त न कर दें। (5) वह सामान्यता सप्रतिबन्ध मुक्त बंदियों पर प्रयोग किये जाने वाले पुलिस निगरानी से संबंधित तत्समय प्रवृत्त नियमों की अपेक्षाओं को मानेगा तथा उनका पालन करेगा। मैं..... दिनांक 20- (ह0)..... सचिव उत्तर प्रदेश शासन एतद्वारा सप्रतिबन्ध मुक्ति के उपर्युक्त आदेश में यथाविनिर्दिष्ट शर्तों को स्वीकार करता हूँ तथा उसका दृढ़तापूर्वक पालन करने के लिए सहमत हूँ। मैं यह समझता हूँ कि यदि मैं इन शर्तों को पूर्णतः अथवा किसी भाग के पूरा करने में असफल रहा तो राज्य सरकार मेरे दण्ड की छूट निरस्त कर सकती है और किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वारण्ट मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है तथा मुझे अपने मूल दण्ड की व्यतीत न हुई अवधि के लिए जेल वापस भेज जा सकता है। गवाह दिनांक- (सिद्धदोष के हस्ताक्षर या बायां अंगूठे की छाप) प्रमाणित किया जाता है कि मुक्ति के उपर्युक्त आदेश में विनिर्दिष्ट शर्तों को इस आदेश में उल्लिखित सिद्धदोष को पढ़कर सुना दिया गया है और यह कि उसने उन्हें उन शर्तों के रूप में

प्रमाणित किया जाता है कि मुक्ति के उपर्युक्त आदेश में निर्दिष्ट शर्तों को इस आदेश में उल्लिखित सिद्धदोष को पढ़कर सुना दिया गया है और यह कि उसने उन्हें उन शर्तों के रूप में स्वीकार कर लिया है जिसके अधीन उसे कोड ऑफ क्रिमनल प्रोसीजर, 1998 की धारा-401 द्वारा यथाअपेक्षित दण्डावधि के समाप्त होने पूर्व मुक्त होना है। (ह०)..... दिनांक जेल अधीक्षक प्रमाणित किया जाता है कि सप्रतिबन्ध मुक्ति के उपर्युक्त आदेश में उल्लिखित सिद्धदोष के..... दिन को मुक्त होने का अधिकारी है और उसे मुक्त किये जाने के प्रयोजन से जिला मजिस्ट्रेट / पुलिस अधीक्षक के समक्ष.....भेज दिया गया है। (ह०)..... दिनांक जेल अधीक्षक प्रमाणित किया जाता है कि आवश्यक लिखित आदेश सप्रतिबन्ध मुक्ति के उपर्युक्त आदेश के उल्लिखित सिद्धदोष को दे दिया गया है, ओदश की शर्तें मौखिक रूप में उक्त सिद्धदोष को स्पष्ट कर दी गई है और उसे छोड़ दिया गया है। (अथवा पुलिस अनुरक्षक में..... भेज दिया गया है) (ह०)..... स्थान जिला मजिस्ट्रेट अथवा (ह०)..... पुलिस अधीक्षक	स्वीकार कर लिया है जिसके अधीन उसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 46 सन् 2023) की धारा 473 द्वारा यथाअपेक्षित दण्डावधि के समाप्त होने से पूर्व मुक्त होना है। (ह०)..... दिनांक जेल अधीक्षक प्रमाणित किया जाता है कि सप्रतिबन्ध मुक्ति के उपर्युक्त आदेश में उल्लिखित सिद्धदोष के.....दिन को मुक्त होने का अधिकारी है और उसे मुक्त किये जाने के प्रयोजन से जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक के समक्ष..... भेज दिया गया है। (ह०)..... दिनांक जेल अधीक्षक प्रमाणित किया जाता है कि आवश्यक लिखित आदेश सप्रतिबन्ध मुक्ति के उपर्युक्त आदेश के उल्लिखित सिद्धदोष को दे दिया गया है, ओदश की शर्तें मौखिक रूप में उक्त सिद्धदोष को स्पष्ट कर दी गई है और उसे छोड़ दिया गया है। (अथवा पुलिस अनुरक्षक में..... भेज दिया गया है) (ह०)..... स्थान जिला मजिस्ट्रेट अथवा (ह०)..... पुलिस अधीक्षक

परिशिष्ट - 3 का संशोधन

22. उक्त मैनुअल में, परिशिष्ट 3 में,-

(एक) नीचे स्तम्भ - एक में दिए गए विद्यमान प्रपत्र 'क' के स्थान पर स्तम्भ-दो में दिया गया प्रपत्र रख दिया जाएगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-एक (विद्यमान प्रपत्र)	स्तम्भ-दो (एतद्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र)
(प्रपत्र क)	(प्रपत्र क)

(बन्दी उसके सम्बन्धी अथवा उसके अभिभावक को निःशुल्क दिये जाने के लिए) उ०प्र० प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट 1938 (1938 का 8) की धारा 2 के अन्तर्गत मुक्ति के लिए कारागार अधीक्षक को बन्दी द्वारा दिया जाने वाला प्रार्थना पत्र। (बंदी और उसके अभिभावक द्वारा भरे जाने के लिए) जेल..... 1- बंदी का नाम और संख्या..... 2- पिता का नाम..... 3- जाति..... 4- निवास स्थान..... ग्राम, मोहल्ला अथवा नगर..... थाना..... जिला..... 5- प्रस्तावित अभिभावक का नाम उसके पिता के नाम सहित..... 6- अभिभावक की जाति..... 7- अभिभावक की आयु..... 8- अभिभावक का व्यवसाय..... 9- अभिभावक का निवास स्थान..... ग्राम, मोहल्ला अथवा नगर,..... थाना..... जिला..... 10- क्या अभिभावक साक्षर है? 11- क्या अभिभावक बंदी का सम्बन्धी है? यदि हॉ, तो कैसे ?- <u>बंदी का घोषणा</u> मैं एतद्वारा घोषित करता हूँ कि मैं उ०प्र रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट 1938 के अन्तर्गत मुक्त होने की इच्छा करता हूँ और लाईसेंस की उक्त शर्तों का सच्चे हृदय से पालन करूंगा।	(बन्दी उसके सम्बन्धी अथवा उसके अभिभावक को निःशुल्क दिये जाने के लिए) यू०पी० प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट 1938 (अधिनियम संख्या-8 सन् 1938) की धारा 2 के अधीन मुक्ति के लिए कारागार अधीक्षक को बन्दी द्वारा दिया जाने वाला प्रार्थना पत्र। (बंदी और उसके अभिभावक द्वारा भरे जाने के लिए) जेल..... 1- बंदी का नाम और संख्या..... 2- पिता का नाम..... 3- निवास स्थान..... ग्राम, मोहल्ला अथवा नगर..... थाना..... जिला..... 4- प्रस्तावित अभिभावक का नाम उसके पिता के नाम सहित..... 5- अभिभावक की आयु..... 6- अभिभावक का व्यवसाय..... 7- अभिभावक का निवास स्थान..... ग्राम, मोहल्ला अथवा नगर,..... थाना..... जिला..... 8- क्या अभिभावक साक्षर है? 9- क्या अभिभावक बंदी का सम्बन्धी है? यदि हाँ, तो कैसे ?- <u>बंदी का घोषणा</u> मैं एतद्वारा घोषित करता हूँ कि मैं यू०पी० प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट 1938 के अधीन मुक्त होने की इच्छा करता हूँ और लाईसेंस की उक्त शर्तों का सच्चे हृदय से पालन करूंगा। बंदी के हस्ताक्षर दिनांक..... बाएं अंगूठे का छाप अभिभावक द्वारा घोषणा मैं.....समिति.....की ओर से उपर्युक्त बंदी..... की देख रेख करने के लिए सहमत हूँ तथा यू०पी० प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट 1938, के उपबन्धों तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों और लाईसेंस की शर्तों का पालन करूंगा।

बंदी के हस्ताक्षर

दिनांक.....

बाएं अंगूठे का छाप

अभिभावक द्वारा घोषण

मै..... समिति.....की ओर से उपर्युक्त बंदी..... की देख रेख करने के लिए सहमत हूँ तथा उ०प्र० प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, के उपबन्धों तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों और लाईसेंस की शर्तों का पालन करूंगा।

दिनांक.....

अभिभावक

हस्ताक्षर.....

बांये अंगूठे का निशान

नोट- यदि प्रस्तावित अभिभावक समिति अथवा संस्था नहीं है तो इस पंक्ति के शेष भाग काट दिया जायेगा।

(जिला मजिस्ट्रेट द्वारा भरे जाने के लिए)

आकस्मिक (casual)

अभ्यासिक habitual)

पूर्व दोषसिद्धियों की संख्या, यदि कोई हो.....

1- बंदी का नाम और संख्या .....

2 बंदी की आयु वर्ष, अपराध.....

3- दण्ड देने वाला अधिकारी.....और मामले के संख्या.....

4- दण्ड की अवधि.....जुर्माने यदि कोई हो, वसूल किया गया जुर्माना.....

5- दण्ड देने का दिनांक.....

दिनांक-.....20...

अभिभावक के हस्ताक्षर .....

बांये अंगूठे का निशान

नोट- यदि प्रस्तावित अभिभावक समिति अथवा संस्था नहीं है तो इस पंक्ति के शेष भाग काट दिया जायेगा।

(जेल अधीक्षक द्वारा भरे जाने के लिए)

आकस्मिक (casual)

अभ्यासिक habitual)

पूर्व दोषसिद्धियों की संख्या, यदि कोई हो.....

1- बंदी का नाम और संख्या.....

2- बंदी की आयु.....

वर्ष, अपराध.....

3- दण्ड देने वाला अधिकारी.....और मामले के संख्या.....

4- दण्ड की अवधि.....जुर्माने यदि कोई हो, वसूल किया गया जुर्माना.....

5- दण्ड देने का दिनांक.....

6- प्रार्थना पत्र के दिनांक तक

जेल में वस्तुतः व्यतीत की गयी अवधि.....वर्ष.....महीने.....दिन.....

7- अर्जित की गयी छूट.....वर्ष.....महीने.....

दिन.....

8- स्तम्भ 6 और 7 का योग.....

वर्ष.....महीने.....दिन.....

9- नियम के अन्तर्गत संभाव्य दण्ड की छूट दिये जाने के बाद बंदी की मुक्ति का दिनांक.....

10- जेल में बंदी को नियत किया गया कार्य.....

11- बंदी द्वारा किये गये कारागार सम्बन्धी अपराध तथा उसे दिया गया दण्ड.....

12- कारागार में किसी विशेष कार्य में प्राप्त प्रशिक्षण अथवा कोई विशेष प्रवीणता.....

13- बंदी की शारीरिक तथा मानसिक दशा.....

14- जेल में आचरण.....

15-कारावास भोगने का प्रभाव.....

16- क्या बंदी प्रत्येक प्रकार से पात्र है? यदि नहीं, तो अधीक्षक यहाँ अपने हाथ से इस प्रार्थना पत्र को अस्वीकृत करने का आदेश, कारणों सहित लिखेगा.....

17- क्या बंदी को लाइसेंस पर मुक्त करना उचित है?.....

6- प्रार्थना पत्र के दिनांक तक जेल में वस्तुतः व्यतीत की गयी अवधि.....

7- अर्जित की गयी छूट..... वर्ष..... महीना .....महीने.....

8- स्तम्भ 6 और 7 का योग.....वर्ष.....
दिन.....

9- नियम के अन्तर्गत संभाव्य दण्ड की छूट दिये जाने के बाद बंदी की मुक्ति का दिनांक.....

10- जेल में बंदी को नियत किया गया कार्य.....

11- बंदी द्वारा किये गये कारागार सम्बन्धी अपराध तथा उसे दिया गया दण्ड.....

12- कारागार में किसी विशेष कार्य में प्राप्त प्रशिक्षण अथवा कोई विशेष प्रवीणता.....

13- बंदी की शारीरिक तथा मानसिक दशा.....

14- जेल में आचारण.....

15-कारावास भोगने का प्रभाव.....

16- क्या बंदी प्रत्येक प्रकार से पात्र है? यदि नहीं, को अधीक्षक यहाँ अपने हाथ से इस प्रार्थना पत्र को अस्वीकृत करने का आदेश, कारणों सहित लिखेगा.....

17- क्या बंदी को लाइसेंस पर मुक्त करना उचित है?.....

18- उक्त विषय पर अथवा बंदी की मुक्ति पर स्वयं जेल अधीक्षक द्वारा अथवा जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से किया गया पूर्व निर्देश, यदि कोई हो.....

प्रविष्टियां वारंटों के साथ जांच ली गई है

जेलर
जेल अधीक्षक
दिनांक..... जेल का नाम.....

(जेल प्रविष्टियॉ के अधीक्षक द्वारा अभिलिखित की जाएंगी)

(जिला मजिस्ट्रेट द्वारा भरे जाने के लिए)

18- उक्त विषय पर अथवा बंदी की मुक्ति पर स्वयं जेल अधीक्षक द्वारा अथवा जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से किया गया पूर्व निर्देश, यदि कोई हो.....

प्रविष्टियां वारंटों के साथ जांच ली गई है
जेलर
दिनांक.....
जेल अधीक्षक
जेल का नाम

(जेल प्रविष्टियॉ अधीक्षक द्वारा अभिलिखित की जाएंगी)

(जिला मजिस्ट्रेट द्वारा भरे जाने के लिए)

1- जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में प्राप्त होने का दिनांक.....

2- मामले का संक्षिप्त इतिवृत्त.....

3- क्या प्रस्तावित अभिभावक इस प्रकार कार्य करने के लिए उपयुक्त है?..

4- बंदी की पूर्ववृत्त तथा कारागार में उसके आचरण को देखते हुए क्या अपराध से उसके अलग रहने की संभावना है और यदि लाईसेंस पर मुक्त कर दिया जाय तो क्या वह शान्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करेगा?.....

जिला
मजिस्ट्रेट
जिले का नाम.....

नोट: यदि नहीं तो संक्षेप में कारण दें।

बोर्ड की सिफारिश

1- लाईसेंस पर मुक्त किये जाने की सिफारिश की जाती है।

2- जुर्माने का भुगतान न करने की दशा में.....महीनों के बाद और यदि जुर्माने अथवा उसके किसी भाग का भुगतान कर दिया हो तो उससे पहले लाईसेंस पर मुक्त किये जाने की सिफारिश की जाती है।

3- यदि उपयुक्त अभिभावक मिल जाय तो लाईसेंस पर मुक्त किये जाने की सिफारिश की जाती है।

4- लाईसेंस पर.....महीनों के बाद मुक्त किये जाने की सिफारिश की जाती है, यदि बंदी का आचरण संतोषजनक हो।

5-.....तक स्थगित, यदि बंदी का आचरण संतोषजनक है।

6- उपयुक्त अभिभावक के मिलने तक स्थगित.....

1- जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में प्राप्त होने का दिनांक.....

2- मामले का संक्षिप्त इतिवृत्त.....

3- क्या प्रस्तावित अभिभावक इस प्रकार कार्य करने के लिए उपयुक्त है?.....

4- बंदी की पूर्ववृत्त तथा कारागार में उसके आचरण को देखते हुए क्या अपराध से उसके अलग रहने की संभावना है और यदि लाईसेंस पर मुक्त कर दिया जाय तो क्या वह शान्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करेगा?.....

जिला
मजिस्ट्रेट
जिले का नाम.....

नोट: यदि नहीं तो संक्षेप में कारण दें।

बोर्ड की सिफारिश

1- लाईसेंस पर मुक्त किये जाने की सिफारिश की जाती है।

2- जुर्माने का भुगतान न करने की दशा में.....महीनों के बाद और यदि जुर्माने अथवा
उसके किसी भाग का भुगतान कर दिया हो तो उससे पहले लाईसेंस पर मुक्त किये जाने की सिफारिश की जाती है।

3- यदि उपयुक्त अभिभावक मिल जाय तो लाईसेंस पर मुक्त किये जाने की सिफारिश की जाती है।

4- लाईसेंस पर..... महीनों के बाद मुक्त किये जाने की सिफारिश की जाती है यदि बंदी का आचरण संतोषजनक हो।

5-..... तक स्थगित, यदि बंदी का आचरण संतोषजनक है।

6- उपयुक्त अभिभावक के मिलने तक स्थगित.....

7- अनिश्चित काल के लिए स्थगित.....

8- अस्वीकृत.....

9- अभिभावक के नाम की पहचान की जाये.....

सदस्य सदस्य

7- अनिश्चित काल के लिए स्थगित.....

8- अस्वीकृत.....

9- अभिभावक के नाम की पहचान की जाये

सदस्य
सदस्य
अध्यक्ष
दिनांक.....20...

<u>शासन के आदेश</u>

बोर्ड की सिफारिश स्वीकृत की जाती है

सचिव, शासन
दिनांक.... 20...

लाईसेंस के रद्द करने पर पृष्ठांकन

सचिव, शासन
दिनांक .....20....

सभापित दिनांक..... <u>शासन के आदेश</u> बोर्ड की सिफारिश स्वीकृत की जाती है सचिव, शासन दिनांक..... लाईसेंस के रद्ध करने पर पृष्ठांकन सचिव, शासन दिनांक.....	

(दो) नीचे स्तम्भ-एक में दिए गये विद्यमान प्रपत्र 'घ' के स्थान पर स्तम्भ-दो में दिया गया प्रपत्र रख दिया जाएगा, अर्थातः-

स्तम्भ-एक (विद्यमान प्रपत्र)	स्तम्भ-दो (एतद्वारा प्रतिस्थापित प्रपत्र)
(प्रपत्र घ) (नियम 7 देखें) उ०प्र० प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा 2 के अन्तर्गत सप्रतिबन्ध मुक्ति का लाईसेंस यू०पी० प्रिजनर्स आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा 2 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके राज्य सरकार एतत्पश्चात वर्णित शर्तों के पालन पर.....आत्मज..... जाति.....आयु..... निवास स्थान..... थाना.....जिला..... बंदी संख्या.....जो इस समय..... जेल में परिरूद्ध है, को मुक्त करने के लिए स्वीकृत तथा आदेश देती है तथा उसे आत्मज..... जाति.....निवास स्थान..... थाना.....जिला..... अथवा समिति/संस्था के, जिसे उक्त बंदी के अभिभावक के रूप में नियुक्त	(प्रपत्र घ) (नियम 7 देखें) यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा 2 के अधीन सप्रतिबन्ध मुक्ति का लाईसेंस यू०पी० प्रिजनर्स आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा 2 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके राज्य सरकार एतत्पश्चात वर्णित शर्तों के पालन पर.....आत्मज..... आयु.....निवास स्थान..... .....थाना.....जिला.....बंदी संख्या.....जो इस समय..... जेल में परिरूद्ध है, को मुक्त करने के लिए स्वीकृत तथा आदेश देती है तथा उसे आत्मज.....निवास स्थान थाना.....जिला.....अथवा समिति/संस्था के, जिसे उक्त बंदी के अभिभावक के रूप में नियुक्त किया गया है, पर्यवेक्षण तथा प्राधिकार में रखती है। उक्त लाईसेंस..... को जब तक पहले ही रद्ध न किया जाये, दिन.....20.....को समाप्त हो जायेगा। लाईसेंसधारी द्वारा पूरी की जाने वाली शर्ते (1) लाईसेंसधारी, लाईसेंस की अवधि के दौरान उपर्युक्त अभिभावक के पर्यवेक्षण तथा अधिकार तथा अधिकार में रहेगा। वह अपने निवास स्थान, सेवायोजन अथवा आचरण के सम्बन्ध में मौखिक रूप अथवा लिखित रूप से अभिभावक द्वारा दिये गये सभी अनुदेशों का पालन करेगा। (2) वह बिना अभिभावक की अनुमति के उन स्थानों की सीमाओं के बाहर नहीं जायेगा जिनके लिए उसे उसके अभिभावक ने प्रतिबन्ध लगाया हो तथा अभिभावक द्वारा आदेश दिये जाने पर

किया गया है, पर्यवेक्षण तथा प्राधिकार में रखती है। उक्त लाईसेंस.....को जब तक पहले ही रद्ध न किया जाये, समाप्त हो जायेगा। लाईसेंस द्वारा पूरी की जाने वाली शर्ते (1) लाईसेंसी, लाईसेंस की अवधि के दौरान उपर्युक्त अभिभावक के पर्यवेक्षण तथा अधिकार तथा अधिकार में रहेगा। वह अपने निवास स्थान, सेवायोजन अथवा आचरण के सम्बन्ध में मौखिक रूप अथवा लिखित रूप से अभिभावक द्वारा दिये गये सभी अनुदेशों का पालन करेगा। (2) वह बिना अभिभावक की अनुमति के उन स्थानों की सीमाओं के बाहर नहीं जायेगा जिनके लिए उसे उसके अभिभावक ने प्रतिबन्ध लगाया हो तथा अभिभावक द्वारा आदेश दिये जाने पर किसी भी जगह तथा उस वर्ग से जायेगा जो अभिभावक नियत करें। (3) वह ऐसे समय और स्थानों पर तथा ऐसे व्यक्तियों के समक्ष स्वंय उपस्थित होगा जहाँ अभिभावक समय-समय पर आदेश दें। (4) जिस काम पर अभिभावक उसे लगने के लिए कहे, वह उस पर मेहनत से तथा अभिभावक के संतोषानुसार कार्य करेगा। (5) वह भारत में तत्समय प्रचलित किसी विधि के अधीन दण्डनीय कोई अपराध नहीं करेगा। (6) वह किसी भी प्रकार ऐसे व्यक्तियों से संबंध नहीं रखेगा जो दुश्चरित्र हो तथा लम्पट या पापपूर्ण जीवन व्यतीत करते हो।	किसी भी जगह तथा उस वर्ग से जायेगा जो अभिभावक नियत करें। (3) वह ऐसे समय और स्थानों पर तथा ऐसे व्यक्तियों के समक्ष स्वंय उपस्थित होगा जहाँ अभिभावक समय-समय पर आदेश दें। (4) जिस काम पर अभिभावक उसे लगने के लिए कहे, वह उस पर मेहनत से तथा अभिभावक के संतोषानुसार कार्य करेगा। (5) वह भारत में तत्समय प्रचलित किसी विधि के अधीन दण्डनीय कोई अपराध नहीं करेगा। (6) वह किसी भी प्रकार ऐसे व्यक्तियों से संबंध नहीं रखेगा जो दुश्चरित्र हो तथा लम्पट या पापपूर्ण जीवन व्यतीत करते हो। (7) यदि राज्य सरकार की राय में वह उपर्युक्त शर्तों का उल्लघंन करते हुए पाया जाता है तो राज्य सरकार उसे अपने निवास स्थान के जिले के जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष अपने मामले का अभ्यावेदन करने का अवसर देने के बाद उक्त लाईसेंस रद्व कर सकती है और यू०पी० प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा 4 के उपबन्ध के अधीन रहते हुए उसे शेष दण्ड को भुगतान के लिए पुनः कारागार भेजे जाने का आदेश दे सकती है। (8) इस लाईसेंस के रदद होने पर लाईसेंसधारी को रद्द आदेश में निर्दिष्ट तिथि को या उससे पहले उस जेल में वापस लौटना होगा (9) अपने अभिभावक की मृत्यु की दशा में लाईसेंसधारी इस तथ्य को उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट को जहाँ वह रहता है तुरन्त सूचित करेगा और यदि सम्भव हो तो अभिभावक के स्थान पर किसी अन्य उपयुक्त अभिभावक के लिए प्रस्ताव करेगा तथा प्रस्तावित अभिभावक को पूर्ण विवरण देगा। <u>अभिभावक का कर्तव्य</u> अभिभावक का यह देखने का यह कर्तव्य होगा कि लाईसेंस की शतों का पूरी तरह पालन किया जाता है। वह लाईसेंसधारी के आचरण तथा कल्याण की देख रेख करेगा और सामान्यतः माता-पिता के स्थान में कार्य करेगा। यदि लाईसेंसधारी का आचरण बुरा हो तो अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि वह जिला मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दे। यदि अधिनियम के अधीन, लाईसेंस पर मुक्त कोई बंदी अभिभावक पर्यवेक्षण अथवा प्राधिकार से भाग निकलता है अथवा लाईसेंस के रद्द हो जाने पर कारागार वापस नहीं आता है तो अभिभावक, जिला मजिस्ट्रेट और जेल के अधीक्षक को तुरन्त सूचित करेगा तथा निकटस्थ थाने में रिपोर्ट करेगा और बंदी के विरूद्ध ऐसी कार्यवाही की जाएगी जो संज्ञेय मामले में की जाती है। रद्द हो जाने की दशा को छोड़कर लाईसेंस की अवधि समाप्त होने पर अभिभावक तुरन्त लाईसेंसधारी को सूचित करेगा कि वह

(7) यदि राज्य सरकार की राय में वह उपर्युक्त शर्तों का उल्लघंन करते हुए पाया जाता है तो राज्य सरकार उसे अपने निवास स्थान के जिले के जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष अपने मामले का अभ्यावेदन करने का अवसर देने के बाद उक्त लाईसेंस रद्व कर सकती है और यू०पी० प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा 4 के उपबन्ध के अधीन रहते हुए उसे शेष दण्ड को भुगतान के लिए पुनः कारागार भेजे जाने का आदेश दे सकती है। (8) इस लाईसेंस के रद्व करने के आदेश में निर्दिष्ट को यह उसके पूर्व कारागार वापस चला जायेगा। (9) अपने अभिभावक की मृत्यु की दशा में लाईसेंसी इस तथ्य को उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट को जहाँ वह रहता है तुरन्त सूचित करेगा और यदि सम्भव हो तो अभिभावक के स्थान पर किसी अन्य उपयुक्त अभिभावक के लिए प्रस्ताव करेगा तथा प्रस्तावित अभिभावक को पूर्ण विवरण देगा। <u>अभिभावक का कर्तव्य</u> अभिभावक का यह देखने का यह कर्तव्य होगा कि लाईसेंसी की शर्तों का पूरी तरह पालन किया जाता है। वह लाईसेंस के आचरण तथा कल्याण की देख रेख करेगा और सामान्यतः माता के स्थान में कार्य करेगा। यदि लाईसेंसी का आचारण बुरा हो तो अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि वह जिला मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दे। यदि अधिनियम के अधीन, लाईसेंस पर मुक्त कोई बंदी अभिभावक पर्यवेक्षण अथवा	लाईसेंस की सभी शर्तों का पालन करने से मुक्त है और लाईसेंस पर उक्त आशय की एक टिप्पणी लिखेगा तथा लाईसेंस को सम्बद्ध जेल अधीक्षक को वापस कर देगा। दिनांक.....20.. गृह सचिव, उत्तर प्रदेश शासन

प्राधिकार से भाग निकलता है अथवा लाईसेंस के रद्द हो जाने पर कारागार वापस नहीं आता है तो अभिभावक, जिला मजिस्ट्रेट और जेल के अधीक्षक को तुरन्त सूचित करेगा तथा निकटस्थ थाने में रिपोर्ट करेगा और बंदी के विरूद्ध ऐसी कार्यवाही की जाएगी जो संज्ञेय मामले में की जाती है। रद्द हो जाने की दशा को छोड़कर लाईसेंस की अवधि समाप्त होने पर अभिभावक तुरन्त लाईसेंसी को सूचित करेगा कि वह लाईसेंस की सभी शर्तों का पालन करने से मुक्त है और लाईसेंस पर उक्त आशय की एक टिप्पणी लिखेगा तथा लाईसेंस को सम्बद्ध जेल अधीक्षक को वापस कर देगा। दिनांक..... गृह सचिव, उत्तर प्रदेश शासन	

आज्ञा से,

(अनिल गर्ग)
प्रमुख सचिव।

Uttar Pradesh Shasan
Kaaragaar Prashasan evam Sudhaar Anubhag-4

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no.59/2025/56/22-4-2025-1794027 dated 10 December, 2025

NOTIFICATION

No.59/2025/56/22-4-2025-1794027
Lucknow; Dated:10 December, 2025

In exercise of the powers under section 59 of the Prisons Act, 1894 (Act no. 9 of 1894), as amended in its application to the State of Uttar Pradesh, read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amend the Uttar Pradesh Jail Manual, 2022:

THE UTTAR PRADESH JAIL MANUAL (FIRST AMENDMENT), 2025

Short title, extent and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Jail Manual (First Amendment), 2025.
(2) They shall extend to whole of the State of Uttar Pradesh and shall be applicable to all the prisons in Uttar Pradesh, related institutions, prisoners and personnels.
(3) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

Amendment of paragraph 2

2. In the Uttar Pradesh Jail Manual, 2022, hereinafter referred to as the said manual, in paragraph 2,—

(i) for the existing clause (c) set out in Column-I below, the clause as set out in Column-II shall be substituted,
namely:-

Column-I (Existing clause)	Column-II (Clause as hereby substituted)
(c) "Casual offender" means a prisoner who is a first offender and lapses into crime not because he has a criminal mentality but on account of his surrounding, physical disability or mental deficiency. The term 'first offender' in the case of a prisoner committed to or detained in prison under section 122 of the Code of Criminal Procedure, 1973, will mean a prisoner thus committed to or detained in prison for the first time;	(c) "Casual offender" means a prisoner who is not a habitual offender;

(ii) for the existing clause (n) set out in Column-I below, the clause as set out in Column-II shall be substituted,
namely:-

Column-I (Existing clause)	Column-II (Clause as hereby substituted)
(n) "Habitual offender" means a prisoner who has not been classified as casual;	(n) "Habitual offender" means a prisoner who falls under the definition of habitual offender as defined in section 2(1)(c) of Uttar Pradesh Habitual Offenders' Restriction Act, 1952 (U.P. Act no. 38 of 1952);

Amendment of paragraph 3

3. In the said manual, in clause (d) of paragraph 3 for the existing sub-clause (v) set out in Column-I below, the sub-clause as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

Column-I (Existing sub-clause)	Column-II (Sub-clause as hereby substituted)
(v) High security prisons for high risk or professional or habitual prisoners. a. District Jail Lucknow b. District Jail Chitrakoot c. District Jail Gautam Buddh Nagar d. District Jail Azamgarh e. District Jail Lalitpur f. Central Jail Bareilly-2	(v) High security prisons for high risk or professional prisoners.

Amendment of paragraph 27

4. In the said manual, in paragraph 27 for the existing clause (v) set out in Column-I below, the clause as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

Column-I (Existing clause)	Column-II (Clause as hereby substituted)
(v) the parentage, caste, residence, occupation and age of the convict are duly set forth in the warrant ;	(v) the parentage, residence, occupation and age of the convict are duly set forth in the warrant ;

Amendment of paragraph 124

5. In the said manual for the existing paragraph 124, set out in Column-I below, the paragraph as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

Column-I (Existing paragraph)	Column-II (Paragraph as hereby substituted)
Transfer of convicts in certain cases 124. The Director General may direct the transfer from one jail to another of convicts who may be required for the discharge of special functions such as those of convict officers, scavengers, etc. He may also transfer convicts knowing	Transfer of convicts in certain cases 124. The Director General may direct the transfer from one jail to another of convicts who may be required for the discharge of special functions such as those of convict officers, and prisoners proficient in specific arts, crafts, trade or

any particular trade or industry from one jail to another jail where such trade or industry is followed or where facilities for training in such trade or industry exist. The Director General may pass such general or special orders regarding the transfers of convicts under this rule as he may consider necessary.	industrial skills etc. He may also transfer convicts knowing any particular trade or industry from one jail to another jail where such trade or industry is followed or where facilities for training in such trade or industry exist. The Director General may pass such general or special orders regarding the transfers of convicts under this paragraph as he may consider necessary.

Amendment of paragraph 158

6. In the said manual, for the existing paragraph 158 set out in Column-I below, the paragraph as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

Column-I (Existing paragraph)	Column-II (Paragraph as hereby substituted)
Remission to convicts on scavenging duty 158. Subject to good work and conduct in jail, convicts of the scavenger class working as scavengers in jails, or convicts whom on administrative grounds it is not found expedient to promote to the grades of convict officers, shall, though they may not be appointed convict officers, be entitled to receive ordinary remissions at the scales sanctioned in the preceding paragraph for convict night watchmen and convict overseers, respectively, with effect from the first day of the month following the one on which they would, but for this rule, be eligible for promotion to those grades.	Remission to convicts employed for maintaining hygiene and sanitation in jails 158. Subject to good work and conduct in jail, convicts employed for maintaining hygiene and sanitation in jails or convicts whom on administrative grounds it is not found expedient to promote to the grades of convict officers, shall, though they may not be appointed convict officers, be entitled to receive ordinary remissions at the scales sanctioned in the preceding paragraph for convict night watchmen and convict overseers, respectively, with effect from the first day of the month following the one on which they would, but for this rule, be eligible for promotion to those grades.

Amendment of paragraph 161

7. In the said manual for the existing paragraph 161 set out in Column-I below, the paragraph as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

Column-I (Existing paragraph)	Column-II (Paragraph as hereby substituted)
Remission to convicts working on holidays 161. Convicts employed on prison services, such as cooks, scavengers, store-keepers, lamp cleaners, hospital attendants, and barbers etc., who ordinarily work on sundays and other	Remission to convicts working on holidays 161. Convicts employed on prison services who ordinarily work on Sundays and other jail holidays, may be awarded one day's ordinary remission for each complete calendar month during which they have been so employed, in addition to

jail holidays, may be awarded one day's ordinary remission for each complete calendar month during which they have been so employed, in addition to any other remission earned under these rules. Convict warders and convict overseers shall, however, not be eligible for remissions under this rule.	any other remission earned under these rules. Convict warders and convict overseers shall, however, not be eligible for remissions under this paragraph.

Amendment of paragraph 176

8. In the said manual for the existing clause (1) of paragraph 176 set out in Column-I below, the clause as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

Column-I (Existing clause)	Column-II (Clause as hereby substituted)
(1) whether the convict is a professional, hereditary, or specially dangerous criminal or not.	(1) whether the convict is a professional, or specially dangerous criminal or not.

Amendment of paragraph 196

9. In the said manual, for the existing clause (a) of paragraph 196 set out in Column-I below, the clause as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

Column-I (Existing clause)	Column-II (Clause as hereby substituted)
(a) Habitual convicts with not more than two previous convictions, may be employed as convict night watchmen, if they fulfil the conditions laid down in rule 196 for casual convicts.	(a) Habitual convicts with not more than three previous convictions, may be employed as convict night watchmen, if they fulfil the conditions laid down in paragraph 195 for casual convicts.

Amendment of paragraph 223

10. In the said manual, in paragraph 223, for the existing opening paragraph before NOTE (1) set out in Column-I below, the opening paragraph as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

Column-I (Existing opening paragraph)	Column-II (Opening paragraph as hereby substituted)
223. It shall be the duty of the Superintendent and Jailor to see that revision sheets of convicts are forwarded in the prescribed form in duplicate, for completion to the District Magistrate of the district of conviction six months prior to the date of revision, with correct and legibly written particulars as to caste, parentage and the place of abode of the convict, stating clearly the name of the village, the thana and district.	223. It shall be the duty of the Superintendent and Jailor to see that revision sheets of convicts are forwarded in the prescribed form in duplicate, for completion to the District Magistrate of the district of conviction six months prior to the date of revision, with correct and legibly written particulars as to parentage and the place of abode of the convict, stating clearly the name of the village, the thana and district.

Amendment of paragraph 255

11. In the said manual for the existing paragraph 255 set out in Column-I below, the paragraph as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

Column-I (Existing paragraph)	Column-II (Paragraph as hereby substituted)
Sub-categories of habitual prisoners 255. Habitual prisoners shall be divided into the following sub-categories. 1. Non-professional ; and 2. Professional. The non-professional habitual sub-category will consist of those prisoners who lapse into crime owing to their surroundings or some physical or mental defects, and who are not first offenders. In the other sub-category shall be included all other habitual prisoners, for instance, those who are men with an object, sound in mind and mostly sound in body, often highly skilled, who deliberately and with their eyes open prefer a life of crime, and know the tricks and manoeuvres necessary for that life.	Sub-categories of habitual prisoners 255. Habitual prisoners shall be divided into the following sub-categories:- 1. Non-professional ; and 2. Professional. The non-professional habitual sub-category will consist of those prisoners who lapse into crime owing to their surroundings or some physical or mental defects. In the other sub-category shall be included all other habitual prisoners, for instance, those who are men with an object, sound in mind and mostly sound in body, often highly skilled, who deliberately and with their eyes open prefer a life of crime, and know the tricks and manoeuvres necessary for that life.

Amendment of paragraph 263

12. In the said manual, in paragraph 263 for the existing entry 11 set out in Column-I below, the entry as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

Column-I (Existing entry)	Column-II (Entry as hereby substituted)
(11) Whether the convict is professional hereditary or specially dangerous ……	(11) Whether the convict is professional or especially dangerous ……

Amendment of paragraph 276

13. In the said manual, for the existing paragraph 276 set out in Column-I below, the paragraph as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

Column-I (Existing paragraph)	Column-II (Paragraph as hereby substituted)
Tasks for Superior class convicts 276. Tasks shall be allotted with careful regard to the capacity, character, previous mode of life and antecedents of each superior class convict sentenced to rigorous imprisonment.	Tasks for Superior class convicts 276. Tasks shall be allotted with careful regard to the capacity, character, and previously earned skill of each superior class convict sentenced to rigorous imprisonment.

Amendment of paragraph 289

14. In the said manual, for the existing clause (g) of paragraph 289 set out in Column-I below, the clause as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

Column-I (Existing clause)	Column-II (Clause as hereby substituted)
(g) shall not be called upon to perform duties of a degrading or menial character unless he belongs to a class or community accustomed to perform such duties; but may be required to carry water for his own use provided he belongs to the class of society the members of which are accustomed to perform such duties in their own homes.	(g) Omitted.

Amendment of paragraph 347

15. In the said manual, for the existing clause (1) of paragraph 347 set out in Column-I below, the clause as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

Column-I (Existing clause)	Column-II (Clause as hereby substituted)
(1) The guarding of condemned convicts shall be carried out by trustworthy permanent warders of castes and districts different from those of the convicts. Every warder shall be on duty for three hours.	(1)The guarding of condemned convicts shall be carried out by trustworthy permanent warders with sound integrity and good reputation. Every warder shall be on duty for three hours.

Amendment of paragraph 573

16. In the said manual, for the existing paragraph 573 set out in Column-I below, the paragraph as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

Column-I (Existing paragraph)	Column-II (Paragraph as hereby substituted)
Cleanliness of jail precincts and enclosures 573. The jail precincts and enclosures shall be kept perfectly neat and clean all times. Daily and continued attention must be given to secure neatness and smartness of roads, paths, grass plots and open grounds. The grounds outside the main wall shall be kept clear of all undergrowth and rank vegetation.	Cleanliness of jail precincts and enclosures 573. The jail precincts and enclosures shall be kept perfectly neat and clean all times. Daily and continued attention must be given to secure neatness and smartness of roads, paths, grass plots and open grounds. The grounds outside the main wall shall be kept clear of all undergrowth and rank vegetation. The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013 (Act no. 25 of 2013) has a binding effect on prisons. It prohibits manual scavenging and hazardous cleaning of sewers.

Amendment of paragraph 580

17. In the said manual, for the existing clause (2) of paragraph 580 set out in Column-I below, the clause as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

Column-I (Existing clause)	Column-II (Clause as hereby substituted)
(2) The Superintendent may exempt any prisoner from having his hair clipped or shaved on the ground of religious scruples or caste prejudices. Any prisoner to whom such operation would be justly offensive or degrading may also, at the discretion of the Superintendent, be exempted by him.	(2) The Superintendent may exempt any prisoner from having his hair clipped or shaved on the ground of religious scruples. Any prisoner to whom such operation would be justly offensive or degrading may also, at the discretion of the Superintendent, be exempted by him.

Amendment of paragraph 616

18. In the said manual, for the existing clause (2) of paragraph 616 set out in Column-I below, the clause as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

Column-I (Existing clause)	Column-II (Clause as hereby substituted)
(2) The dead bodies of prison inmate of any caste or creed, which are not claimed by their relatives or friends, may be handed over to a society on the approved list of the same faith as the deceased. The funeral shall be arranged on Government expenses and charged on appropriate budget head, if required.	(2) The dead bodies of prison inmate which are not claimed by their relatives or friends, may be handed over to a society on the approved list of the same faith as the deceased. The funeral shall be arranged on Government expenses and charged on appropriate budget head, if required.

Amendment of paragraph 681

19. In the said manual, for the existing paragraph 681 set out in Column-I below, the paragraph as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

Column-I (Existing paragraph)	Column-II (Paragraph as hereby substituted)
Religious scruples and cast prejudices 681. Reasonable respect shall be paid to the religious scruples of the prisoners in all matters as far as it is compatible with the order, discipline, health and morality.	Religious scruples 681. Reasonable respect shall be paid to the religious scruples of the prisoners in all matters as far as it is compatible with the order, jail routine, discipline, health and morality.

Amendment of paragraph 828

20. In the said manual, for the existing paragraph 828 set out in Column-I below, the paragraph as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

Column-I (Existing paragraph)	Column-II (Paragraph as hereby substituted)
Labour for convict sentenced to rigorous imprisonment 828. The Superintendent shall provide labour of an industrial or non industrial type to every class of convicts sentenced to rigorous imprisonment under his care,	Labour for convict sentenced to rigorous imprisonment 828. The Superintendent shall provide labour of an industrial or non-industrial type to every class of convicts sentenced to rigorous imprisonment under his care,

keeping as far as possible, the following factors in view: (a) the physical and mental fitness of a convict for a particular work; (b) the previous education, training or experience of any industry, trade or family profession of the convict; (c) convict's aptitude or inclination for a particular work; (d) rehabilitative prospects, viz., whether the convict can, on his release from jail be easily, employed on that particular work near about his village or District; and (e) the convict is not sent to a jail far off from his home district for learning a trade or craft etc.	keeping as far as possible, the following factors in view: (a) the physical and mental fitness of a convict for a particular work; (b) the previous education, training or experience of any industry, trade etc. of the convict; (c) convict's aptitude or inclination for a particular work; (d) rehabilitative prospects, viz., whether the convict can, on his release from jail be easily, employed on that particular work near about his village or District; (e) the convict is not sent to a jail far off from his home district for learning a trade or craft etc.; and (f) division of work or allocation of tasks shall in no case be based on the grounds of religion or caste.

Amend ment of Appendix-2

21. In the said manual, for the existing Form A of Appendix-2 set out in Column-I below, the Form as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

Column-I (Existing Form)	Column-II (Form as hereby substituted)
(FORM A) Order of conditional release (Please refer to paragraphs 186 and 189) In exercise of the power conferred by section 401 of the Code of Criminal Procedure, 1898, and of all other powers vested in him in that behalf, the Governor of the Uttar Pradesh is pleased. to remit, subject to the conditions hereinafter set forth, such portion of the sentence of imprisonment passed upon……. son of…….caste……..resident of……, a convict confined in the…… and numbered, by the court of the…… at, on the……..day of……under section……. of the……as remains unexpired on the…….. day of……. and, subject to the acceptance of the said conditions by the said convict, to direct his	(FORM A) Order of conditional release (Please refer to paragraphs 185 and 188) In exercise of the power conferred by section 473 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023(Act no.46 of 2023), and of all other powers vested in him in that behalf, the Governor of Uttar Pradesh is pleased to remit, subject to the conditions hereinafter set forth, such portion of the sentence of imprisonment passed upon…….son of……. Resident…….. of…… a convict confined in the……. and numbered, by the court of the…….. at, on the…… day of…….under section……..of the..... as remains unexpired on the…….. day of……, and, subject to the acceptance of the said conditions by the said convict, to

release on the said ……of……..	direct his release on the said……. Of…….
The conditions which shall apply to the said convict during the period of his sentence. hereby remitted that is to say until…….. death are-	The conditions which shall apply to the said convict during the period of his sentence hereby remitted that is to say until…… death are-
(1) that he shall not commit, any offence punishable under any law for the time being in force in India,	(1) that he shall not commit, any offence punishable under any law for the time being in force in India;
(2) That he shall not in any way associate with persons known to be of bad character, not lead a dissolute or evil life;	(2) that he shall not in any way associate with persons known to be of bad character, not lead a dissolute or evil life;
(3) that he shall reside within the district of…….at such place as the Superintendent of Police may from time to time direct and shall not go beyond or absent himself from the limits of such place without the permission in writing of the the superintendent of police of the district in which he is required to reside;	(3) that he shall reside within the district of…… at such place as the Superintendent of Police may from time to time direct and shall not go beyond or absent himself from the limits of such place without the permission in writing of the the superintendent of police of the district in which he is required to reside,
(4) that, unless and until he is exempted from doing so by the District Magistrate, he shall report himself periodically at such time and place and to such person as may from time to time be specified by the District Magistrate or the Superintendent of Police of the district in which he is required to reside;	(4) that, unless and until he is exempted from doing so by the District Magistrate, he shall report himself periodically at such time and place and to such person as may from time to time be specified by the District Magistrate or the Superintendent of Police of the district in which he is required to reside:
(5) that he shall generally submit to and comply with the requirements of the rules relating to the police surveillance to be exercised over conditionally released convicts, for the time being in force.	(5) that he shall generally submit to and comply with the requirements of the rules relating to the police surveillance to be exercised over conditionally released convicts, for the time being in force.
Dated at the day of 19 (Sd.)…….. Secretary to Government. Uttar Pradesh.	Dated at the…….. day of……. 20
I……..hereby accept the conditions as specified in the above order of conditional release and agree to abide by the same. I understand that should I fail to fulfill wholly or in part any of these conditions, the State Government may cancel the remission of my sentence and that I may thereupon be arrested by any police officer without	(Sd.)……

warrant and remanded to undergo the unexpired portion of my original sentence. Witness Dated the Signature or Left Thumb impression of the convict. Certified that the conditions specified in the above order of release have been read over to the convict named in this order, and that he has accepted the same as the conditions under which he is to be released before the expiry of the term of his sentence as required by section 401, Code of Criminal Procedure, 1898. (Sd.) …….. Dated the Superintendent of Jail. Certified that the convict named in the above order of conditional release is entitled to be released on the day of, and has been sent to the at for the purpose of being released. The date of expiry of his sentence inclusive of remission is…….. Dated the (Sd) Superintendent of Jail. Certified that the necessary written order has been delivered to the convict named in the above order of conditional release, that the terms of the order have been explained to the said convict by word of mouth, and that he has been set at liberty (or sent under police escort to). (Sd.) At District Magistrate Or (Sd.) Dated the Superintendent of Police.	Secretary to Government, Uttar Pradesh. I……hereby accept the conditions as specified in the above order of conditional release and agree to abide by the same. I understand that should I fall to fulfill wholly or in part any of these conditions, the State Government may cancel the remission of my sentence and that I may thereupon be arrested by any police officer without warrant and remanded to undergo the unexpired portion of my original sentence. Witness Dated the Signature or Left Thumb impression of the convict. Certified that the conditions specified in the above order of release have been read over to the convict named in this order, and that he has accepted the same as the conditions under which he is to be released before the expiry of the term of his sentence as required by section 473, Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023(Act no.46 of 2023). (Sd.)…….. Dated the Superintendent of Jail. Certified that the convict named in the above order of conditional release is entitled to be released on the day of…….. and has been sent to the……. At……. for the purpose of being released. The date of expiry of his sentence inclusive of remission is……. Dated the

	(Sd) Superintendent of Jail. Certified that the necessary written order has been delivered to the convict named in the above order of conditional release, that the terms of the order have been explained to the said convict by word of mouth, and that he has been set at liberty (or sent under police escort to). At (Sd.) District Magistrate Or Dated the (Sd.) Superintendent of Police.

Amendment of Appendix-3

22. In the said manual, in Appendix 3,—

(i) for the existing Form A set out in Column-I below, the Form as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

Column-I (Existing Form)	Column-II (Form as hereby substituted)
(FORM A) [To be supplied to a prisoner, his relative (or his) guardian free of charge.] *Application by the prisoner to the Superintendent of prison for release under section 2 of the United Provinces Prisoners' Release on Probation Act, 1938 (VIII of 1938).* *(To be filled in by the prisoner and his guardian)* 1. Name and no. of prisoner..... 2. Father's name……. 3. Caste…… 4. Residence..... Village, mohalla or town…… Thana…… District……	(FORM A) [To be supplied to a prisoner, his relative (or his) guardian free of charge.] *Application by the prisoner to the Superintendent of prison for release under section 2 of the United Provinces Prisoners' Release on Probation Act, 1938 (VIII of 1938).* *(To be filled in by the prisoner and his guardian) Jail.* 1. Name and no. of prisoner……. 2. Father's name…….. 3. Residence……. Village, mohalla or town..... Thana.....

5. Name of the proposed guardian with his father's name- 6. Guardian's caste..... 7. Guardian's age..... 8. Guardian's occupation..... 9. Guardian's residence…… Village, mohalla or town…… Thana…… District,……. 10. Is the guardian literate? ……. 11. Is the guardian related to the prisoner? If so, how? …….. *Declaration by the Prisoner* I hereby declare that I desire to be released on licence under the United Provinces Prisoner's Release on Probation Act, 1938, and shall faithfully comply with the conditions of the licence. Signature of the prisoner Date 20 Left thumb- impression. Declaration by the guardian *I on behalf of ……..Society Institution agree to undertake the supervision of …….prisoner mentioned above and shall comply with the provisions of the United Provinces Prisoners' Release on Probation Act, 1938, the rules framed thereunder and the conditions of the licence. Date……..20…… Signature of the guardian Left Thumb Impression.	District…….. 4. Name of the proposed guardian with his father's name- 5.Guardian's age…….. 6.Guardian's occupation..... 7.Guardian's residence..... Village, mohalla or town..... Thana..... District…… 8. Is the guardian literate? 9. Is the guardian related to the prisoner? If so, how? *Declaration by the Prisoner* I hereby declare that I desire to be released on licence under the United Provinces Prisoner's Release on Probation Act, 1938, and shall faithfully comply with the conditions of the licence. Date.... 20 Signature of the prisoner Left thumb- impression. Declaration by the guardian *I on behalf of ……..Society Institution agree to undertake the supervision of …….prisoner mentioned above and shall comply with the provisions of the United Provinces Prisoners' Release on Probation Act, 1938, the rules framed thereunder and the conditions of the licence.

*NOTE :- The rest of this line shall be scored out if the proposed guardian is not a society or an institution.

(To be filled in by the Superintendent of Jail)

Casual
Habitual.
No. of previous convictions, if any
1. Prisoner's name and no. …….
2. Prisoner's age ……years, offence.
3. Sentencing officer and case no……
4. Period of sentence ……..Fine, if any……Fine realized…….
5. Date of sentence……
6. Period actually spent in jail up to the date of application ..... years ..... months..... days.
7. Remissions earned……years……..months……days.
8. Total of columns 6 and 7……..years…….months ……days.
9. Prisoner's date of release after allowing probable remission under the rule……..
10. The work allotted to the prisoners in jail…….
11. Prison offences committed by the prisoner and punishment awarded to him……..
12. Training received in any particular work in prison or any special proficiency acquired…
13. Physical and mental condition of the prisoner……
* 14 Conduct in jail…
*15. Effect of imprisonment undergone……
*16. Is the prisoner eligible in every way? If not, the Superintendent shall in his own hand record here
the order rejecting this application with reasons…..
*17. Is it advisable to release the prisoner on licence.?.....
18, Previous reference, if any, made to Government either by the Superintendent of the jail himself or through the District Magistrate on the subject or release of the prisoner……
Entries checked with warrants
Jailor.
Date---------- Superintendent of Jail
Name of Jail----------
*NOTE- These entries should be in the hand of the Superintendent.

Date.....20……
Signature of the guardian
Left Thumb Impression.

*NOTE :- The rest of this line shall be scored out if the proposed guardian is not a society or an institution.

(To be filled in by the Superintendent of Jail)

Casual
Habitual.
No. of previous convictions, if any
1. Prisoner's name and no. …….
2.Prisoner's age …….years, offence.
3. Sentencing officer and case no……
4. Period of sentence…..Fine, if any…….Fine realized…….
5. Date of sentence……
6. Period actually spent in jail up to the date of application ..... years ... months... days.
7. Remissions earned.. year…..month…days.
8. Total of columns 6 and 7……years….months……days.
9. Prisoner's date of release after allowing probable remission under the rule……..
10. The work allotted to the prisoners in jail…….
11. Prison offences committed by the prisoner and punishment awarded to him……..
12. Training received in any particular work in prison or any special proficiency acquired…
13. Physical and mental condition of the prisoner……
* 14 Conduct in jail…
*15. Effect of imprisonment undergone……
*16. Is the prisoner eligible in every way? If not, the

(To be filled in by District Magistrate)

1. Date of receipt in the District Magistrate's Office…
2. Brief history of the case…
3. Is the proposed guardian fit to Act as such ?*
4. Having regard to the prisoner's antecedents and his conduct in prison, is he likely to abstain from
crime and lead a peaceable life if released on licence ? ……
District magistrate.
Name of District……..
* NOTE :- If not please state reasons in brief.

Recommendation of the Board
1. Recommended for release on licence.
2. Recommended for release on licence after……..months in default of payment of fine or
sooner if fine or portion of fine is paid.
3. Recommended for release on licence provided a suitable guardian is available.
4. Recommended for release on licence after……..months if prisoner's conduct is satisfactory.
5.Postponed till……..,if prisoner's conduct is satisfactory.
6. Postponed till a suitable guardian is forthcoming……..
7. Postponed indefinitely….
8. Rejected……..
9. Name of guardian to be recognized…….
Member
Member
Chairman
Dated……..20

Orders of Government
Board's recommendation accepted

Secretary to Government.
Dated ……20
Endorsement on revocation of licence.

Secretary to Government.
Dated……20

Superintendent shall in his own hand record here
the order rejecting this application with reasons…..
*17. Is it advisable to release the prisoner on licence.?.....
18. Previous reference, if any, made to Government either by the Superintendent of the jail himself or through the District Magistrate on the subject or release of the prisoner……
Entries checked with warrants
Jailor.
Date---------- Superintendent of Jail
Name of Jail----------
*NOTE- These entries should be in the hand of the Superintendent.

(To be filled in by District Magistrate)

1. Date of receipt in the District Magistrate's Office…
2. Brief history of the case…
3. Is the proposed guardian fit to Act as such ?*
4. Having regard to the prisoner's antecedents and his conduct in prison, is he likely to abstain from crime and lead a peaceable life if released on licence ? ……
District magistrate.
Name of District……..
* NOTE :- If not please state reasons in brief.

Recommendation of the Board
1. Recommended for release on licence.
2. Recommended for release on licence after……..months in default of payment of fine or
sooner if fine or portion of fine is paid.

	3. Recommended for release on licence provided a suitable guardian is available. 4. Recommended for release on licence after……..months if prisoner's conduct is satisfactory. 5. Postponed till……..,if prisoner's conduct is satisfactory. 6. Postponed till a suitable guardian is forthcoming…….. 7. Postponed indefinitely…. 8. Rejected…….. 9. Name of guardian to be recognized……. Member Member Chairman Dated……..20 *Orders of Government* *Board's recommendation accepted* Secretary to Government. Dated ……20 Endorsement on revocation of licence. Secretary to Government. Dated……20

(ii) for the existing Form D set out in Column-I below, the Form as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

Column-I (Existing Form)	Column-II (Form as hereby substituted)
(FORM D) [See rule 7] *Licence of conditional release under section 2 of the U.P. Prisoner's Release on Probation Act, 1938.* In exercise of the powers conferred by section 2 of the U.P. Prisoners' Release on Probation Act,	(FORM D) [See rule 7] *Licence of conditional release under section 2 of the U.P. Prisoner's Release on Probation Act, 1938.* In exercise of the powers conferred by section 2 of the U.P. Prisoners' Release on Probation Act,

1938, the State Government is pleased subject to the observance of the conditions hereinafter set forth to grant and direct the release of-----, son of , caste----------, aged----------, resident of----------, police station----------, district----------, convict number ----------at present confined in the---------- ------ jail and place him under the supervision and authority of -------,son of----------, caste----- -----, resident of----------, police station----------. District---------- or Society/ Institution hereby appointed as the guardian of the said prisoner. This licence shall expire on the---------- --------- day of--------, 20---------- unless previously revoked. *Conditions to be observed by the licensee* (1) The licensee shall remain under the supervision and authority of the above-mentioned guardian during the period of the licence. He shall obey all the instructions of the guardian issued to him either verbally or in writing regarding his residence, employment or conduct. (2) He shall not proceed beyond the limits of the places within which he may be restricted by his guardian without his permission and shall proceed to and place directed by the guardian and by the route prescribed by the guardian. (3) He shall report himself at such times and places and to such person as the guardian may from time to time direct. (4) He shall himself with due industry and to the satisfaction of	1938, the State Government is pleased subject to the observance of the conditions hereinafter set forth to grant and direct the release of-----, son of-------- , aged----------, resident of----------, police station----------, district----------, convict number ----------at present confined in the---------- ------ jail and place him under the supervision and authority of ----------,son of----------, resident of----------, police station----------. District---------- or Society/ Institution hereby appointed as the guardian of the said prisoner. This licence shall expire on the---------- day of--------, 20----------unless previously revoked. *Conditions to be observed by the licensee* (1) The licensee shall remain under the supervision and authority of the above-mentioned guardian during the period of the licence. He shall obey all the instructions of the guardian issued to him either verbally or in writing regarding his residence, employment or conduct. (2) He shall not proceed beyond the limits of the places within which he may be restricted by his guardian without his permission and shall proceed to and place directed by the guardian and by the route prescribed by the guardian. (3) He shall report himself at such times and places and to such person as the guardian may from time to time direct. (4) He shall himself with due industry and to the satisfaction of the guardian do the work upon which the said guardian may direct him to employ himself. (5) He shall not commit any offence punishable under any law for the time being in force in India. (6) He shall not in any way associate with persons known to be of bad character or lead dissolute or evil life. (7) If in the opinion of the State Government he is found to have committed a breach of the above-mentioned conditions the State Government may, after the person concerned has been given an opportunity to represent his case before the District Magistrate of the

the guardian do the work upon which the said guardian may direct him to employ himself. (5) He shall not commit any offence punishable under any law for the time being in force in India. (6) He shall not in any way associate with persons known to be of bad character or lead dissolute or evil life. (7) If in the opinion of the State Government he is found to have committed a breach of the abovementioned conditions the State Government may, after the person concerned has been given an opportunity to represent his case before the District Magistrate of the district in which he is residing at the time, revoke the licence and direct his recommitment to prison to serve the rest of the sentence, subject to the provision of section 4 of the U.P. Prisoner's Release on Probation Act, 1938. (8) On revocation of this licence, the licensee shall return to the prison named in the order of revocation on or before the date specified therein. (9) In the event of the death of his guardian, the licensee shall at once report this fact to the District Magistrate of the district in which he resides and shall, if possible, purpose some other suitable guardian in place of the deceased one, giving full particulars of the proposed guardian. *Guardian's duty*	district in which he is residing at the time, revoke the licence and direct his recommitment to prison to serve the rest of the sentence, subject to the provision of section 4 of the U.P. Prisoner's Release on Probation Act, 1938. (8) On revocation of this licence, the licensee shall return to the prison named in the order of revocation on or before the date specified therein. (9) In the event of the death of his guardian, the licensee shall at once report this fact to the District Magistrate of the district in which he resides and shall, if possible, purpose some other suitable guardian in place of the deceased one, giving full particulars of the proposed guardian. *Guardian's duty* It shall be the duty of the guardian to see that the conditions of the licence are fulfilled. He shall look after the conduct and welfare of the licensee and generally act in loco parentis. If the licensee's conduct be bad, it shall be the duty of the guardian to report the fact to the District magistrate. If a prisoner released on licence under the Act escapes from the supervision or authority of a guardian or fails to return to prison on revocation of his licence, the guardian shall immediately inform the District Magistrate and the Superintendent of the jail and report to the nearest police station and action shall be taken against the prisoner as in a cognizable case. On the expiry of the period of licence otherwise than by revocation, the guardian shall forthwith inform the licensee that he is absolved from the observation of all conditions of the licence, shall made a note to that effect on the licence and shall return it to the Superintendent of Jail concerned. Date___ 20 Home Secretary to Government. Uttar Pradesh

It shall be the duty of the guardian to see that the conditions of the licence are fulfilled. He shall look after the conduct and welfare of the licensee and generally act in loco parentis. If the licensee's conduct be bad, it shall be the duty of the guardian to report the fact to the District magistrate. If a prisoners released on licence under the Act escapes from the supervision or authority of a guardian or fails to return to prison on revocation of his licence, the guardian shall immediately inform the District Magistrate and the Superintendent of the jail and report to the nearest police station and action shall be taken against the prisoners as in a cognizable case. On the expiry of the period of licence otherwise than by revocation, the guardian shall forthwith inform the licensee that he is absolved from the observation of all conditions of the licence, shall made a note to that effect on the licence and shall return it to the Superintendent of Jail concerned. Date 20 Home Secretary to Government. Uttar Pradesh.	

By order,

(Anil Garg)
Principal Secretary.